पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सतीश चन्द्र दूबे, स०वि०स० श्री व्यासदेव प्रसाद, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्रीमती मनोरमा प्रसाद, स०वि०स० श्रीमती रेणु देवी, स०वि०स०	"पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत त्रिवेणी केनाल से निकले वितरणी एवं उप वितरणियों में लगभग 20 साल से पानी नहीं छोड़ा गया है । जिसके कारण किसानों को सिंचाई करने में काफी कठिनाई होती है । अत: सिंचाई हेतु उक्त केनाल से निकले वितरणी एवं उप वितरणियों में पानी छोड़ने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	लघु जल संसाधन

1	2	3	4
2.	श्री कृष्णनंदन यादव, स०वि०स० श्री प्रदीप कुमार, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स० श्री ललन राम, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राहुल कुमार, स०वि०स०	''गया जिला के नीमचक बथानी थाना से एक कि० मी० दूरी पर बथानी बाजार में दिनांक-26.02.2013 की संध्या करीब 6.30 बजे सुमिरक यादव, उम्र-42 वर्ष, ग्राम-बथानी टोला-धर्मबिगहा को बथानी से घर लौटने के क्रम में पूर्व से घात लगाकर बैठे अपराधियों द्वारा हत्या की नीयत से लोहे के रड एवं लाठी से निर्ममता पूर्वक पिटाई की गयी । इलाज के लिये अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल, गया ले जाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई । जिससे संबंधित प्राथमिकी नीमचक बथानी थाना काण्ड संख्या-21/2013 दर्ज की गयी है । मृतक के आश्रित बिल्कुल असहाय हो गये हैं । नामजद अभियुक्तों द्वारा केश वापसी के लिये धमकी दी जा रही है, हत्यारों के पूरे परिवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं । मृतक के पूरा परिवार दहशत में है । अतः मृतक सुमिरक यादव के आश्रितों को उचित मुआबजा, सुरक्षा देने के साथ-साथ नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अविलम्ब कठोर सजा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	गृह (आरक्षी)

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/13- 177 / वि०स०, पटना, दिनांक- 2 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विकास विभाग तथा गृह (आरक्षी) विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02/3/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/13- 177 / वि०स०, पटना, दिनांक- 2 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

02/3/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

2/3/13